# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :—सुरेश राव (आर.ए.एस.)**

**वाद संख्या:—67/2025**

**जी.सी.एम.एस नं.—2025/130**

1. मनोज कुमार पुत्र मदनलाल जाति स्वामी निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. गिरधर पुत्र मदनलाल जाति स्वामी निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. श्याम स्वामी पुत्र शंकरलाल जाति स्वामी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

————वादीगण

**बनाम्**

1. गुरमीतसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 81 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखवीरसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 81 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. मनीराम पुत्र बुडाराम जाति स्वामी निवासी चक 81 जीबी तहसील अनूगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

————प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज.काश्त.**
**अधिनियम। बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म**

**उपस्थित—**

1. श्री रमेश सारस्वत एडवोकेट वादीगण की ओर से
2. श्री गुरतेजसिंह एडवोकेट प्रतिवादी सं.—2 व 3 की ओर से
3. एक पक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी सं.—3 की ओर से

## —:: निर्णय ::—

दिनांक:— 20/5/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि सयुक्तं खाता की कृषि भूमि वाके चक 81 जी बी तहसील अनूपगढ का मु.नं.—24 प.सं.—286/1 ता 4 प्रत्येक का 0.228, 5/1 का 0.203, 5/2 का 0.025 खाला, 6/1 का 0.063, 8/2 का 0.190, 9 ता 14 प्रत्येक का 0.253, 15/1 का 0.228, 15/2 का 0.025 खाला, 16/1 का 0.228, 16/2 का 0.025 खाला, 17 ता 24 प्रत्येक का 0.253, 25/1 का 0.228, 25/2 का 0.025 खाला कुल 5.694 हैक्टर नाली दोयम मय खाला खातेदारी कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं.—1 ता 3 [illegible] नाम से सयुक्त [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी सं.—1 का 1/9 हिस्सा, वादी सं.[illegible] का 1[illegible] हिस्सा, वादी सं.—3 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं.—1 का 1265/5694 हिस्सा[illegible] वादी सं. —3 का 211/1898 हिस्सा व प्रतिवादी सं.[illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी सं.—1 मनोज कुमार के हिस्सा में वाके चक 81 जी बी तहसील अनूपगढ़ के मु. नं.—24 प.सं.—286/436 का कि.नं.—1 का 0.2280, 9 का 0.1392 व 10 का 0.253 कुल 0.6202 हैक्टर कृषि भूमि हिस्सा व कब्जा में आई वादी सं.—2 गिरधर के हिस्सा

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.20 18:21:55 IST
Reason: SelfAttested

में वाके चक 81 जी बी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–24 प.सं.–286/436 के कि.नं.–2 का 0.2280, 3 का 0.1012, 8 का 0.1900, 9 का 0.1138 हैक्टर कुल 0.633 हैक्टर भूमि हिस्सा व कब्जा में आई वादी सं.–3 श्याम स्वामी के हिस्सा में वाके चक 81 जी बी तहसील अनूपगढ का मु.नं.–24 प.सं.–286/436 के कि.नं.–3 के 0.1268, 4 का 0.2280, 5/1 का 0.2030, 5/2 का 0.0250 खाला, 6 का 0.0630 हैक्टर कुल ०. 6458 हैक्टर भूमि हिस्सा व कब्जा में आई। इस खाता में प्रतिवादी सं.–3 द्वारा पूर्व में बंटवारा में अपना हिस्सा प्रतिवादी सं.–1 व 2 को दे दिया है इस प्रकार शेष भूमि प्रतिवादी सं.–1 व 2 के उनके हिस्सा अनुसार उनके कब्जा काश्त में आई।

अतः वादीगण एवं प्रतिवादी सं.–1 ता 3 के नाम से सयुक्तं रूप से दर्ज कृषि भूमि वाके चक 81 जी बी तहसील अनूपगढ का मु.नं.–24 प.सं.–286/436 के किला नं.–1 ता 4 प्रत्येक का 0.228, 5/1 का 0.203, 5/2 का 0.025 खाला, 6/1 का 0. 063, 8/2 का 0.190, 9 ता 14 प्रत्येक का 0.253, 15/1 का 0.228, 15/2 का 0. 025 खाला, 16/1 का 0.228,16/2 का 0.025 खाला, 17 ता 24 प्रत्येक का 0.253, 25/1 का 0.228, 25/2 का 0.025 खाला कुल 5.694 हैक्टर नाली दोयम मय खाला खातेदारी कृषि भूमि का वाद पत्र की दर्ज के प्रकाश में वादीगण एवं प्रतिवादी सं.–1 ता 3 के मध्य हुऐ पारस्परिक घरेलू मौखिक बटंवारा अनुसार बंटवारा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं.–1 ता 3 का खाता अलग अलग खोले जाने का आदेश प्रतिवादी सं.–3 को दिया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण 1 ता 3 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरजेतसिंह ने वकालनामा मय जबाव दावा पेश किया। प्रतिवादी सं.–3 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन प्रेषित किये गये थे प्रतिवादी संख्या 3 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुए। प्रतिवादी सं.–3 विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी सं.–1 व 2 ने जबाव दावा पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से सयुंक्त खाता मे होना तथा आपस मे घरू बंटवारा होना स्वीकार है लेकिन वादीगण ने उक्त घरू बंटवारा मे हम प्रतिवादीगण को घरू बंटवारा मे प्राप्त बीघे दर्ज नहीं किए गए है। घरू बंटवारा अनुसार चक 81 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–24 पत्थर सं.–286/436 का किला नं.–11 12, 13 प्रत्येक सालम, किला नं.–20 में 2 कनाल प्रतिवादी सं.–2 सुखवीरसिंह व किला नं.–16 ता 20 प्रत्येक सालम किला नं.–1 गुरमीतसिंह के हिस्सा मे आऐ है तथा उसी अनुसार हम प्रतिवादीगण अपने हिस्सा के रकबा पर काबिज है। लेकिन उक्त घरू बंटवारा के प्रकाश मे हम प्रतिवादीगण को अपने हिस्सा के रकबा में आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण किला नं.–1, 10, 11 मे बंट के साथ चिपते 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है तथा उक्त रास्ता स्वीकृत होने के बाद प्रतिवादीगण अपनी कृषि भूमि मे आना जाना कर सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–53 के तहत भी कृषि भूमि का विभाजन रास्ता, खाला आदि सुविधाओं के मध्यनजर किया जाना है वादीगण ने हम प्रतिवादीगण के हिस्सा के रकबा तथा रास्ता आदि सुविधाओं का जानबुझ कर कोई [illegible] किया है। कृषि भूमि का खाता विभाजन करते हुए चक 81 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–24 पत्थर नं.–286/436 का किला नं.–11, 12, 13 प्रत्येक सालम, किला नं.–20 में 2 कनाल प्रतिवादी सं.–2 सुखवीरसिंह के नाम व किला नं.–16 ता 20 प्रत्येक सालम किला नं.–21 प्रतिवादी सं.–1 गुरमीत के नाम से खाता विभाजन करते हुए प्रतिवादीगण को अपने हिस्सा के रकबा में आने जाने के लिए किला नं.–1, 10, 11 में बट के साथ चिपते 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.20 18:21:55 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में विवादित बिन्दू नही हैं तथा पत्रावली में अन्य कोई न्यायिक पक्ष शेष नहीं होने की स्थिति में वादीगण का यह वाद पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2026 को प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार अनूपगढ से चाहा गया। तहसीलदार अनूपगढ द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किला विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक उक्त खाते के खातेदारान के विभाजन का प्रस्ताव मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट निम्नानुसार हैं–

| क्र. सं. | नाम खातेदार | मु.नं. | किलानम्बर | रकबाकुल | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मनोजकुमार पुत्र मदनलाल | 286/436 मुं.नं.24 | 1/2 का 0.203, 9/2 का 0.139, 10/1 का 0.227, 11/1 का 0.051 हैक्टर | नाली दोयम 0.620 हैक्टर | वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को स्वतः ही किला नं. –1 व 10 में 2–2 बिस्वा रास्ता हेतु भूमि छोड़ दी गई है। |
| 2 | गिरधर पुत्र मदनलाल | 286/436 मुं.नं.24 | 2 का 0.228, 3/1 का 0.101, 8/2 का 0.190, 9/1 का 0.114 हैक्टर | नाली दोयम 0.633 हैक्टर | |
| 3 | श्यामस्वामी पुत्र शंकरलाल | 286/436 मुं.नं.24 | 3/2 का 0.127, 4 का 0.228, 5/1 का 0.203, 5/2 का 0.025, 6/1 का 0.063 हैक्टर | नाली दोयम 0.621, खाला 0.025 कुल 0.646 हैक्टर | |
| 4 | गुरमीतसिंह, सुखवीरसिंह पुत्र सरजीतसिंह व मनीराम पुत्र बुड़ाराम | 286/436 मुं.नं.24 | 1/1 का 0.025, 10/2 का 0.026, 11/2 का 0.202, 12 ता 14 का 0.759, 15/1 का 0.228, 15/2 का 0.025, 16/1 का 0.228, 16/2 का 0.025, 17 ता 24 का 2.024, 25/1 का 0.228, 25/2 का 0.025 हैक्टर | नाली दोयम 3.720, खाला 0.075 कुल 3.795 हैक्टर | |

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के समक्ष एवं इस न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने उपरांत किसी पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की है। फलतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य हैं तथा वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

**–:: आदेश ::–**

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 3 के मध्य तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार किला विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं तथा प्रतिवादी 4 तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता हैं कि उपर्युक्तानुसार निर्णय में वर्णित विभाजन प्रस्ताव मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.20 18:21:55 IST
Reason: Self Attested

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर ... श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.20 18:21:55 IST
Reason: SelfAttested

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 में नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर

## अनवान

ब इजलास **श्री सुरेश राव आर.ए.एस.**

**मनोज कुमार बनाम् गुरमीतसिंह**

**दावा बाबत्–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**मुकद्मा नं.–67/2025**

**जीसीएमएस नं.–2025/130**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान बहाजरी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर खाता विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, अनूपगढ़ को आदेश दिया जाता हैं कि वह निम्नानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करे–

| क्र. सं. | नाम खातेदार | मु.नं. | किलानम्बर | रकबाकुल | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मनोजकुमार पुत्र मदनलाल | 286/436 मुं.नं.24 | 1/2 का 0.203, 9/2 का 0.139, 10/1 का 0.227, 11/1 का 0.051 हैक्टर | नाली दोयम 0.620 हैक्टर | वादीगण द्वारा प्रतिवादी गण को स्वतः ही किला नं. –1 व 10 में 2–2 बिस्वा रास्ता हेतु भूमि छोड़ दी गई है। |
| 2 | गिरधर पुत्र मदनलाल | 286/436 मुं.नं.24 | 2 का 0.228, 3/1 का 0.101, 8/2 का 0.190, 9/1 का 0.114 हैक्टर | नाली दोयम 0.633 हैक्टर | |
| 3 | श्यामस्वामी पुत्र शंकरलाल | 286/436 मुं.नं.24 | 3/2 का 0.127, 4 का 0.228, 5/1 का 0.203, 5/2 का 0.025, 6/1 का 0.063 हैक्टर | नाली दोयम 0.62[illegible] नाला 0.[illegible] कुल 0.646 हैक्टर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.20 18:21:55 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः–रीडर / 2026 / 173

दिनांक :- 20/5/26

तहसीलदार (राजस्व)
अनूपगढ़

विषय :–प्रकरण संख्या 67 / 2025 अनवान मनोजकुमार बनाम् गुरमीतसिंह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए. में पारित निर्णय दिनांक 20/5/26 की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि प्रकरण संख्या 67 / 2025 अनवान मनोजकुमार बनाम् गुरमीतसिंह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए. इस न्यायालय में विचाराधीन जैरकार था। जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20/05/26 को निर्णय पारित किया गया है। निर्णय की प्रति वास्ते राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर पालनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.05.20 18:21:55 IST
Reason: SelfAttested